Es - 178721405 - IN
2/4/2019

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2018-19/ Dated:- 18/3/19

Pension
2-4-19

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO./ 69 /2018-19/41393

डाक अनुभाग
डायरी सं. 50
दिनांक 2/4/2019

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E),Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh, ziro Point, Blauda Bazar Road, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B,Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Grou Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5329/5369 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananth	695039
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwa	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawa Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Na	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Gc Place (West), Kolkata	700001

पो. डोरण्डा रांची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834002 (JHARKHAND)
दूरभाष Telephone 0651-2412942, 241582 तार Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स Fax 0651-2411745
E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	**Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi**	**110021**

Subject - Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-07-2018 Fifth pay (Enhanced to 284%) & 6th pay w.e.f. 01/07/2018 (Enhanced to 148%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.12/2013/451 & L. No.12/2013/452 Ranchi / dated-21 -02 -19 on the subject stated above under Special Seal Authority for your informationand immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully

पी. कुमार

Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi

सं.सं. : वि०प्र० 6ए–12/2013.....451/वि.

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक 21.02.19

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्त विभागीय संकल्प 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2008-E.II(B), दिनांक 11.09.2018 के द्वारा केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय स्वशासी निकाय के वैसे कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिए दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 284% (दो सौ चौरासी प्रतिशत) कर दी गयी है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के संबंध में निर्णय लिया गया है कि उन्हें केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.07.2018 से महँगाई भत्ता की दर 274% (दो सौ चौहत्तर प्रतिशत) से अभिवृद्धि करते हुए 284% (दो सौ चौरासी प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषा नियम 34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष/वैयक्तिक वेतन पर यह देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 259/वि० दिनांक 28.01.2019 के क्रम में दिनांक 05.02.2019 की बैठक के मद सं० 03 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

25 FEB 2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013.....451/वि.   राँची, दिनांक 21.02.2019

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Pcn-1
1.4355

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013......451/वि०   राँची, दिनांक 21.02.19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013......451/वि०   राँची, दिनांक 21.02.19

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013......451/वि०   राँची, दिनांक 21.02.19

प्रतिलिपि : महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013......451/वि०   राँची, दिनांक 21.02.19

प्रतिलिपि : वित्त (वै०दा०नि०को०) प्रभाग, झारखंड, रांची/योजना–सह–वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

कार्यालय (ले० एवं ह०) झारखण्ड
25 FEB 2019

सं.सं. : वि०प्र० 6ए–12/2013.......452/वि.

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक 21.02.19

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.07.2018 से राज्य सरकार के पेशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 142% (एक सौ बयालीस प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और उसके आलोक में भ सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3/2008 E.II(B) दिनांक 11.09.2018 के द्वारा छ अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर 142% (एक सौ बयालीस प्रतिशत) से 148% (एक सौ अड़तालीस प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से महँगाई राहत 142% (एक सौ बयालीस प्रतिशत) से 148% (एक सौ अड़तालीस प्रतिशत) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 260/वि० दिनांक 28.01.2019 के क्रम में दिनांक 05.02.2019 की बैठक के मद सं० 04 में दी गई है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Pen-1
1.4354

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 452/वि॰ राँची, दिनांक 21.02.2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 452/वि॰ राँची, दिनांक 21.02.2019

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त/सदस्य राजस्व पर्षद्/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 452/वि॰ राँची, दिनांक 21.02.2019

प्रतिलिपि : महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 452/वि॰ राँची, दिनांक 21.02.2019

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 452/वि॰ राँची, दिनांक 21.02.2019

प्रतिलिपि : वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) प्रभाग, झारखंड, रांची/योजना–सह–वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।